न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र. क्र. –

आकृति डेवलपमेन्ट प्रा.लि.

पुर्नस्थापन – 5302/2018/भोपाल/भू.रा.

द्वारा राजीव सोनी---   आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता

विरुद्ध

जलील खां----   अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते पुर्नविलोकन प्रकरण को पुर्नास्थापित किये जाने बावत्

आवेदक की ओर से निवेदन है कि –

1) यह कि उक्त पुर्नविलोकन आवेदन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण क.1043/पी.बी.आर./2017 में पारित आलौच्य अंतिम आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समय अवधि में विधिक ठोस आधारो पर न्याय हेतु प्रस्तुत किया था । जिसमे प्रारम्भिक तर्क हेतु पेशी दिनांक 28.08.2018 नियत की गई थी ।

2) यह कि पेशी दिनांक 28.08.2018 को आवेदक के अधिवक्ता स्वास्थ ठीक न होने के कारण न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके उनकी ओर से उनके साथी अधिवक्ता ने न्यायालय मे उपस्थित होकर न्यायालय को इस तथ्य से अवगत करा दिया था तथा न्यायालय से निवेदन किया था कि प्रकरण मे आगामी 5-6 दिवस की तिथि पेशी हेतु नियत की जावे परन्तु न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पेशी दिनांक 29.08.2018 नियत कर दी।

3) यह कि दिनांक 29.08.2018 को आवेदक अधिवक्ता राजेन्द्र पांचाल स्वास्थ ठीक न होने के कारण अपने डॉक्टर के पास गये थे चूकि डॉक्टर सुबह 11.30 से 12.30 तक ही उपलब्ध रहते है इस कारण डॉक्टर से मिलने के पश्चात् जब न्यायालय मे उपस्थित हुये तो इस तथ्य की जानकारी हुई कि उक्त प्रकरण श्रीमान न्यायालय द्वारा DISMISS IN DEFAULT कर निरस्त कर दिया।

4) यह कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति साकरण होकर क्षमा किये जाने योग्य है। यदि अधिवक्ता की अनुपस्थिति जो कि साकारण है को क्षमा नही किया जाता है तो आवेदक को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर नही हो पायेगा पुर्नविलोकन प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा तथा अनेक वाद विवाद उत्पन्न होगे जिसे रोका जाना न्यायालय का दायित्व है। उक्त आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा दिया गया PRESCRIPTION संलग्न किया जा रहा है।

...2

XIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक Resto. – 5302/2018 / भोपाल / भू.रा.

आकृति डेवलपर्स विरुद्ध अनिल एवं

तहसील .... जिला भोपाल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक............... जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक...............

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.............. तहसील का प्रकरण क्रमांक...............

वाद का विषय ....

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला .... के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक........ के विरुद्ध श्री राजेन्द्र पांचाल के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.......... ....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है / नहीं दिया है। प्रस्तुतकार	30/8/18
30.8.2018	आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र पांचाल, अभिभाषक उपस्थित। उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया। पुनर्स्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल पुनर्विलोकन प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

[पीछे देखिये